बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–2/नियुक्ति–04/2026–215(2)/स्वा०, पटना, दिनांक– 5/2/2026

विज्ञापन संख्या–**19/2025** के विरुद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों (सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी मूल कोटि के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान के 9वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परिवीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित स्थल/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

S.n	Application No	Candidate Name	Father's Name	Date of Birth	Selection Category	Home District	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BR25G006696	SHIV KUMAR JHA	BACHCHAN JHA	10-Dec-1993	UR	DARBHANGA	CHC, BISFI, MADHUBANI
2	BR25G003786	PRIYA	SUBHASH KUMAR SINHA	20-Nov-1997	UR	PATNA	APHC, RASIDPUR, ALINAGAR, DARBHANGA
3	BR25G003190	MOUSHAM KUMARI	RAVINDRA PRASAD	17-Apr-1998	UR	SAMASTIPUR	CHC, KHODAWANDPUR, BEGUSARAI
4	BR25G002901	JYOTI PRIYA	ASHOK KUMAR	15-Sep-2000	UR	HAZARIBAGH	CHC, DAWATH, ROHTAS
5	BR25G001013	SNEH LATA	RAJESH KUMAR GUPTA	20-Feb-1996	UR	BHAGALPUR	PHC, TETIYA BAMBAR, MUNGER
6	BR25G007109	ASHTITWA TIWARI	UMA SHANKAR TIWARI	7-Nov-1999	UR	BUXAR	APHC, BAMHAURA, MOHANIA, KAIMUR

7	BR25G001334	SURABHI KUMARI	ANIL KUMAR	13-Aug-1996	UR	PATNA	CHC, KALYANPUR, EAST CHAMPARAN
8	BR25G007488	JAGDISH CHANDRA SINGH PRASUN	INDRANARAYAN SINGH	28-Apr-1993	UR	MADHUBANI	APHC, PATNIYAN, RIGA, SITAMARHI
9	BR25G006900	SHRUTI RICHA	SHAILENDRA KUMAR	18-Sep-1994	UR	PATNA	APHC, AMRUHAN, SAHAR, BHOJPUR
10	BR25G005136	UTKARSH RAJ	BRIJ NANDAN PRASAD	21-Jan-1999	UR	CHATRA	CHC, RAHUI, NALANDA
11	BR25G003191	ANKITA YADAV	KAPIL PRASAD	29-Oct-2001	UR	PATNA	APHC, CHERKI, BODHGAYA, GAYA
12	BR25G003382	ANUJ KUMAR SINGH	RAM SHANKAR PRASAD SINGH	8-Feb-1997	EWS	SAMASTIPUR	CHC, RUNNI SAIDPUR, SITAMARHI
13	BR25G001283	MARIYAM FATIMAH	SYED HAMZA IMAM	7-Sep-1995	EWS	BEGUSARAI	APHC, KOLBARA, PARBATTA, KHAGARIA
14	BR25G004520	MINU	SHANKAR PASWAN	6-Apr-1995	SC	BEGUSARAI	APHC, BANGLAWAN, DHARAHRA, MUNGER
15	BR25G007619	JAGRITI RAJ	AJIT KUMAR	6-Jun-1997	SC	PATNA	APHC, CHAINPUR, SISWAN, SIWAN
16	BR25G004445	SHREYA KASHISH	SUDHIR KUMAR	14-May-1998	SC	BEGUSARAI	MATERNAL & CHILD HOSPITAL, MUZAFFARPUR
17	BR25G003384	SURBHI	SHYAM PASWAN	12-Nov-1994	SC	MUZAFFARPUR	APHC, MATHAWANWARI, KOTWA, EAST CHAMPARAN

215 (2)
5/2/26

18	BR25G002652	KUNAL SWATANTRA	VIRENDRA KUMAR	5-May-1989	SC	WEST CHAMPARAN	CHC, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN
19	BR25G002557	POOJA	ASHOK KUMAR DAS	16-Jan-1995	SC	VAISHALI	CHC, BARAUNI, BEGUSARAI
20	BR25G005560	SWATI PRIYA HAZRA	TARAK NATH HAZRA	4-Aug-1992	SC	BHAGALPUR	DISTRICT TUBERCULOSIS OFFICE, MUNGER
21	BR25G006648	KUMAR RADHA KRISHNAN	DR KRISHAN PD SINGH	6-Jan-1976	EBC	MUNGER	APHC, BHADAS, KHAGARIA, KHAGARIA
22	BR25G006632	MUSHIR AZAM	FARHADUL AZAM	1-Mar-1984	EBC	EAST CHAMPARAN	APHC, KORDA, MAIRWA, SIWAN

2. यह नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रहीं है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. योगदान के समय नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–3454, दिनांक–28.02.2024 के आलोक में नियमानुसार नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक–03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–7832(2), दिनांक–22.11.1995 के अनुसार नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने

215(2)
5/2/26

तक अथवा पैंतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. उक्त नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित पदस्थापन स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

9. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. उक्त सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा एवं सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लिया जायेगा।

11. नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. जिन नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग/विभाग द्वारा आयोजित Counselling के समय यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, आवासीय/जाति प्रमाण–पत्र अथवा कोई अन्य वांछित प्रमाण–पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण–पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

13. सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

14. उक्त नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी में से यदि कोई पूर्व से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं तो वे नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगें तथा प्रभार त्याग कर उसी दिन उच्चतर अध्ययन पूर्ण करने हेतु विरमित हो जायेंगें। उच्चतर अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

15. नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी माने जाएगें तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान पर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी

215(2)
5/2/26

के लिए निर्धारित वेतनमान (9वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित सामान्य चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे।

16. नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई टेन्योर अवधि पूर्ण किये बिना ही नियमित सेवा में आना चाहते हैं, तो वे टेन्योर पद पर पदस्थापित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

17. नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017 एवं 1092(17), दिनांक–04.10.2025 के प्रावधानानुसार बंध–पत्र के अधीन अनिवार्य सेवा दिए जाने हेतु राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं तो वे भी अपने पूर्व आवंटित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान दे सकते हैं। बंधपत्र से आच्छादित अभ्यर्थियों को सेवा में योगदान की तिथि से बंधपत्र के अधीन शेष सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वे बंधपत्र की अवधि में त्याग पत्र नहीं दे सकते है।

18. उक्त सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा, संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

19. उक्त पदस्थापन के क्रम में अक्रियाशील संस्थान में अथवा अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को विभाग में योगदान करने हेतु विरमित किया जाएगा।

20. इस अधिसूचना में किसी सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि आदि में टंकण त्रुटि की स्थिति में अपेक्षित संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना प्राधिकृत हैं।

21. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/2/26

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/नियुक्ति–04/2026–215(2)/स्वा०, पटना, दिनांक–5/2/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी नवनियुक्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट– state.bihar.gov.in/health पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :– श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

215(2)
5/2/26

सरकार के उप सचिव।